यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, रूद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, रूद्रप्रयाग** के माह 12/2015 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार तथा अनुज कुमार सिंघल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10-10-2018 से 15-10-2018 तक श्री बी॰ डी॰ सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नवीन चन्द्र शंखधर एवं श्री राकेश रंजन, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा महेश चंद्र एवं विजय पाल सिंह नेगी, लेखापरीक्षक के द्वारा दिनांक 02-12-15 से 09-12-15 तक श्री आई॰ के॰ जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था, जिसमें माह 03/2006 से 11/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2015 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, रूद्रप्रयाग का मुख्य कार्यकलाप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान का वितरण आदि संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं। जनपद रूद्रप्रयाग के अंतर्गत अच्छादित सम्पूर्ण क्षेत्र है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) ₹	बचत (-)₹
	स्थापना ₹	गैर स्थापना	आवंटन ₹	व्यय ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹		
2015-16	शून्य	शून्य	96.82	92.47	शून्य	शून्य	--	4.35
2016-17	शून्य	शून्य	110.57	92.13	शून्य	शून्य	--	18.44
2017-18	शून्य	शून्य	153.45	121.71	शून्य	शून्य	--	31.74
2018-19 (Upto Sep. 2018)	शून्य	शून्य	215.20	103.44	शून्य	शून्य	--	111.76

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)/ बचत (-)
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19 (Upto Sep. 2018)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत शासन स्तर से प्राप्त किए जाते हैं । विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. आयुक्त 3. अपर आयुक्त 4. संयुक्त आयुक्त 5. उपायुक्त 6. जिला पूर्ति अधिकारी 7. क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी 8. पूर्ति निरीक्षक 9. लेखाकार आदि

(IV) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, रूद्रप्रयाग को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, रूद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य सरकार से प्राप्त बजट का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 01- निर्गत किए गए राशन कार्डों की धनराशि रु. 3.18 लाख की वसूली लंबित रहना ।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा समय समय पर अपने अंतर्गत आने वाले विकास खण्डों को राशन कार्ड निर्गत करती है। जिसकी धनराशि ब्लॉक द्वारा कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी को प्रदान की जाती है ।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निर्गत किए गए राशन कार्डो की अवशेष धनराशि जो लेखा परीक्षा तिथि तक वसूली हेतु लंबित थी, इस प्रकार है:

क्रम सं.	**ब्लॉक का नाम**	**अवशेष धनराशि**
1	अगस्त मुनि	130659.00
2	ऊखीमठ	87897.00
3	जखोली	99948.00
	योग	**3,18,504.00**

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि समय - समय पर खण्ड विकास अधिकारियों को राशन कार्डों की कीमत वसूलने हेतु पत्राचार किए गए हैं।

अत: प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है ।

<u>STAN</u>

प्रस्तर 01 : जनपद में राशन कार्डों का डिजिटाइजेशन न किया जाना।

भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी लाभार्थियों को आधार सीडिंग तथा डिजिटाइज्ड करने हेतु बल दिया गया था जिसके सन्दर्भ में खाद्य आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया था कि सभी लाभार्थियों का आधार सीडिंग मार्च 2017 तक तथा इनका डिजिटैजेशन अप्रैल 2017 तक अनिवार्य रूप से किया जाये क्योंकि ऐसा न होने की दशा में राज्य के कोटे पर निर्गत सब्सिडाइज्ड राशन की मात्रा पर विपरीत असर पड़ रहा था। अतः राज्य हित में उक्त कार्य को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण किया जाना अति आवश्यक था।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक पूर्ति विभाग, रूद्रप्रयाग के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद में अभी तक 7071 राशन कार्डों को डिजिटाइज्ड नहीं किया गया। उक्त राशन कार्डो को ऑन लाइन/ validation किए बिना खाद्य निर्गत जा रहा था।

लेखा परीक्षा में कारण पूछे जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया जारी है।

विभाग का उत्तर संतोषजंक नहीं है क्योंकि आदेशानुसार यह कार्य वर्ष 2016-17 के अंत तक पूर्ण किया जाना था किन्तु विभाग द्वारा उक्त तिथि तक 7071 कार्डों का डिजिटाइजेशन नहीं किया गया था जो कि लक्ष्य से लगभग 10.5 प्रतिशत कम था।

अतः जनपद में राशन कार्डों का डिजिटाइजेशन न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-02: विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में पेट्रोल पम्पों को अनुचित लाभ पहुंचाना।

पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा अनुज्ञप्ति की अतिरिक्त शर्तों के अधीन मोटर वाहनों में ईंधन डालने के लिए पम्प आउटफिट के संबंध में टैंक में पेट्रोलियम भंडारकरण के लिए अनुज्ञप्ति के अनुसार पेट्रोलियम वर्ग क परिसर के लिए उसकी क्षमता के अनुसार भूमिगत गैस टाईट टैंक जो निर्धारित विद्युत चालित/ हस्तचालित डिस्पेंसिंग पंपों से जुड़े होने चाहिए। उक्त के अतिरिक्त पेट्रोल पम्पों की जांच निर्धारित शर्तों के अनुसार शर्त संख्या 1- रिटेल आउटलेट निर्माण कार्य प्रस्तावित प्लान के अनुसार ही किया जायेगा। 2- कार्यस्थल पर वर्तमान में अनुमोदित प्लान में फेरबदल बिना लिखित अनुमति के नहीं किया जायेगा।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग, रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत 09 पेट्रोल पम्प संचालित थे, पेट्रोल पम्पों के लाइसेन्स अभिलेखों की जाँच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार जांच नहीं की जा रही थी विभाग द्वारा मई 2017 एवं मई 2018 में कुल चार निरीक्षण किए गए ।

उक्त प्रकरण से स्पष्ट था कि पेट्रोल पम्पों के द्वारा भूमिगत गैस टाईट टैंक से निर्धारित विद्युत चालित/ हस्तचालित डिस्पेंसिंग पंपों से निर्धारित नोजलों से अधिक नोजल लगाये जाने की जांच विभाग द्वारा नहीं की गयी। पेट्रोल पम्पों की जांच निर्धारित शर्तों के अनुसार रिटेल आउटलेट निर्माण कार्य प्रस्तावित प्लान के अनुसार ही किया गया था एवं कार्यस्थल पर वर्तमान में अनुमोदित प्लान में फेरबदल किया गया।

उक्त से स्पष्ट था कि विभाग की उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में प्रश्नगत प्रकरण की जांच नियमों तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन न किए जाने से पेट्रोल पम्पों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया गया।

आगे यह भी देखा गया कि अलकनन्दा ऑटोमोबाइल, सुमेरपुर को वर्ष 1994 में मै॰ इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पेट्रोलियम भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति जारी की गयी थी जिसमें 20 कि॰ ली॰ के लिए एक तथा 20 कि॰ ली॰ के लिए 02 से जुड़े हुये हो। जांच में यह पाया गया कि अलकनन्दा ऑटोमोबाइल, सुमेरपुर के द्वारा एक अन्य पेट्रोल पम्प खोल लिया गया जो नियमों के विरुद्ध था जबकि मै॰ अलकनन्दा ऑटोमोबाइल, सुमेरपुर ने फार्म 'B' के 08 संख्या पर दर्ज जनपद में अन्य पेट्रोल पम्प होने की सूचना को शून्य दर्शाया गया और अन्य लाइसेन्स प्राप्त कर लिया गया जो विभाग की उदासीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है ।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पेट्रोल पम्पों की जांच तो की गयी थी, लेकिन निर्धारित सीमा से अधिक नोजलों के लगाये जाने की जांच नहीं की गयी। पेट्रोल रिटेल आउटलेट के निर्माण कार्य की जांच भी भविष्य में किए जाने को कहा गया। अलकनन्दा आटोमोबाइल पेट्रोल पम्प को एक से अधिक लाइसेन्स जारी किए जाने के सम्बंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

विभाग का उत्तर स्वतः ही सम्प्रेक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है उक्त से स्पष्ट था कि विभाग की उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में पेट्रोल पम्पों के द्वारा अधिक नोजल लगाए जाने की जांच नहीं किए जाने से पेट्रोल पम्पों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

अतः विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में पेट्रोल पम्पों को अनुचित लाभ पहुंचाए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
149/2015-16	01	1,2	---

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
149/2015-16	---------------	अप्रस्तुत	----------------	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------------शून्य------------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, रूद्रप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) अनुपालन आख्या के उत्तर।

(3) सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

(4) लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	श्री किशोरी लाल शाह	जिला पूर्ति अधिकारी	11/12/15 से 18/07/17
2	श्री के॰ एस॰ कोहली	जिला पूर्ति अधिकारी	18/07/17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, रूद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.